न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनियां)

आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 144/2024 जी0सी0एम0एस0 संख्या 2024/300

1. राजेश पुत्र रतन जाति गुर्जर निवासी सवाईपुरा ग्राम पंचायत पड़ांगा तहसील भिनाय, जिला अजमेर
2. सुखदेव पुत्र श्योदान जाति गुर्जर निवासी सवाईपुरा ग्राम पंचायत पड़ांगा तहसील भिनाय, जिला अजमेर

बनाम

1. काना पुत्र रामा जाति गुर्जर निवासी सवाईपुरा ग्राम पंचायत पड़ांगा तहसील भिनाय, जिला अजमेर
2. दुदा पुत्र रामा जाति गुर्जर निवासी सवाईपुरा ग्राम पंचायत पड़ांगा तहसील भिनाय, जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील भिनाय अजमेर

अप्रार्थी

उपस्थितः— श्री गजानन्द सिंह रावत अधिवक्ता प्रार्थी
श्री शम्मी मोहम्मद अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 तथा 02
पैरोकार सरकार

निर्णय अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 06.05.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सवाईपुरा पटवार हल्का पड़ांगा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगावल तहसील भिनाय स्थित खातेदारी भूमि खाता संख्या 86 में दर्ज खसरा खसरा नं. 951/730 रकबा 1.67 हैक्ट0 प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने–जाने, कृषि उपकरण व प्राप्त उपज फसल को लाने–ले जाने हेतु ग्राम सवाईपुरा पटवार हल्का पड़ांगा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगावल के सिवायचक भूमि खसरा संख्या 687, खसरा संख्या 396/752, खसरा संख्या 740 और ग्राम सवाईपुरा पटवार हल्का पड़ांगा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगावल स्थित अप्रार्थीगण संख्या 01 और 02 की खातेदारी खसरा संख्या 733 और खसरा संख्या 734 का वर्षो से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहें है जिस कारण उक्त आराजी पर प्रार्थी को सुखाधिकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थी की भूमि पर आने–जाने के लिए मांगा गया रास्ता सबसे निकटतम है, तथा इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात से 15 फीट चौडा रास्ता नियमानुसार शुल्क पर दिलवाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण सं. 01 तथा 02 को प्रकरण में नोटिस प्रेषित कर जवाब तथा अप्रार्थी संख्या 14 सरकार जरिये तहसीलदार से जवाब मय मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 01 तथा 02 के विरूद्ध जारी नोटिस नियमानुसार जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थीगण संख्या 01 तथा 02 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार ने जवाब मय रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सिवायचक भूमि खसरा संख्या 687, खसरा संख्या 396/752, खसरा संख्या 740 और ग्राम सवाईपुरा पटवार हल्का पड़ांगा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगावल स्थित अप्रार्थीगण संख्या 01 और 02 की खातेदारी खसरा संख्या 733 और खसरा संख्या 734 में से रास्ते के संबंध में, अप्रार्थी तहसीलदार भिनाय द्वारा मौका रिपोर्ट मय जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गई। जिस पर प्रार्थीगणों द्वारा सहमति प्रकट की गई। अधिवक्ता श्री शम्मी मोहम्मद द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 तथा 02 की ओर से वकालतनाम पेश कर प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 01 तथा 02 के विरूद्ध लायी गई एकपक्षीय कार्यवाही आदेश को अपास्त कर, अप्रार्थीगण संख्या 01 तथा 02 को जवाब बाबत अवसर देने बाबत् प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 सी0पी0सी किया गया। प्रार्थना–पत्र पर वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 7 पर जवाब पेश नहीं करते हुए सीधे बहस बाबत् निवेदन किया गया। प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 7 पर बहस सुनी गई। अपना पक्ष रखने के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का ध्यान रखते हुए, अप्रार्थी संख्या 01 तथा 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी0पी0सी0 अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 01 तथा 02 के विरूद्ध अमल में लाई गई एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया गया तथा जवाब बाबत् निर्देशित किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 तथा 02 की ओर से अधिवक्ता श्री शम्मी मोहम्मद द्वारा जवाब पत्रावली पेश किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 01 तथा 02 से जवाब तथा तहसीलदार भिनाय से जवाब मय मौका रिपोर्ट पेश होने पर पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना–पत्र धारा 251ए रा0का0अधि0 नियत की गई।

पत्रावली में बहस प्रार्थना–पत्र धारा 251ए रा0का0अधि0 सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए, निवेदन किया गया कि ग्राम सवाईपुरा स्थित खसरा खसरा नं. 951/730 रकबा 1.67 हैक्ट0 प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने–जाने, कृषि उपकरण व प्राप्त उपज फसल को लाने–ले जाने हेतु ग्राम सवाईपुरा के सिवायचक भूमि खसरा संख्या 687, खसरा संख्या 396/752, खसरा संख्या 740 और ग्राम सवाईपुरा पटवार हल्का पड़ांगा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगावल स्थित अप्रार्थीगण संख्या 01 और 02 की खातेदारी खसरा संख्या 733 और खसरा संख्या 734 का वर्षो से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहें है जिस कारण उक्त आराजी पर प्रार्थी को

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

CamScanner

सुखाधिकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता पुश्तैनी समय से चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि पर आने–जाने के लिए मांगा गया रास्ता सबसे निकटतम है, तथा इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः अपनी आराजी खसरा संख्या तक रास्ता दर्ज किया जावे, जिसके लिए प्रार्थी नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करवाने बाबत् तत्पर है। प्रार्थी वकील को सुनने के उपरान्त वकील अप्रार्थी को सुना गया। वकील अप्रार्थीगण संख्या 01 तथा 02 श्री शम्मी मोहम्मद द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस निवेदन किया गया कि, तहसीलदार भिनाय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत जवाब मय मौका रिपोर्ट मिलीभगत कर बनायी गई है। प्रस्तुत रिपोर्ट में तहसीलदार भिनाय द्वारा प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम बनाते हुए वैकल्पिक रास्ता नहीं बताया गया, जबकि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। साथ प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा पुश्तैनी समय से ही अपनी आराजी में कच्ची डोल, थौर, कांटे की बाड़ तथा तारबंदी करवायी गयी है, जिसके कारण प्रार्थीगणों द्वारा कभी भी यहां से आवागमन नहीं किया गया, जिनसे उनके अप्रार्थीगणों की भूमि का सुखाधिकार प्राप्त नही है और ना ही कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी द्वारा आने–जाने बाबत् हमेशा से ही खसरा संख्या 720, 724 तथा 725 का ही उपयोग किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 936/752 किस्म गै0मू0 मगरी से भी रास्ता चाहा गया हैं। जो वन विभाग के क्षेत्राधिकार में आती है। परन्तु वन विभाग को पत्रावली मे पक्षकार नहीं बनाकर कानूनी भूल की गई है। अप्राथीगणों को हैरान–परेशान करने की नियत से, प्रार्थीगणों द्वारा पूर्व में धारा 251ए रा0का0अधि0 में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे प्रार्थीगणों द्वारा विड्रो कर लिया गया। अप्रार्थीगणों के समीप ही प्रार्थीगणों की स्वयं की व उनके परिवारजनों के नाम कृषि आराजीयात है जिसके खसरा संख्या 731 व 732 है, से रास्ता नहीं मांग कर अप्रार्थीगणों की जमीन हड़पने के उद्देश्य से अप्रार्थीगणों की आराजीयात से रास्ता चाहा गया है। अतः प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पूर्णतः मिथा होकर तथ्यो को छुपाकर पेश किया गया है, साथ ही प्रार्थी के पास पूर्व में रास्ता उपलब्ध होने, तथा पक्षकार के अभाव में सव्यय खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें। वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई। सिवायचक भूमि खसरा संख्या 687, खसरा संख्या 396/752, खसरा संख्या 740 और ग्राम सवाईपुरा पटवार हल्का पड़ांगा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगावल स्थित अप्रार्थीगण संख्या 01 और 02 की खातेदारी खसरा संख्या 733 और खसरा संख्या 734 में से प्रार्थी को रास्ता देने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार भिनाय द्वारा रिपोर्ट मय जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत की गई। जिस पर प्रार्थी ने भी सहमति प्रदान की। पैरोकार सरकार द्वारा सिवायचक खसरा संख्या से रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति/एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया है। तत्पश्चात पैरोंकार सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि 951/730 रकबा 1.67 है0 में जाने हेतु रास्ता खसरा नं. 687, 936/752, 740, 733 और 734 में से होकर ही जाता है तथा प्रार्थी की भूमि पर आने–जाने के लिए मांगा गया

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

CamScanner

रास्ता सबसे निकटतम है, तथा इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। साथ ही प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता उपयुक्त तथा अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं होना स्वीकार किया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 251ए रा0का0अधि0 का अवलोकन किया गया, बहस पत्रावली पर मनन किया गया। प्रार्थी की आराजी तक पहुचने बाबत् कोई भी रास्ता राजस्व जमाबन्दी में इन्द्राज नहीं है। वकील अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब तथा दौराने बहस बताया गया कि प्रार्थी खसरा संख्या 714 गै0मू0 रास्ता से होकर खसरा संख्या 720, 724, और 725 से आवागमन कर रहा है जबकि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा संख्या 714 रास्ता नहीं होकर खातेदारी आराजी किस्म बारानी 1 दर्ज है, तथा खसरा संख्या 714 तथा खसरा संख्या 720 के मध्य **खसरा संख्या 719 स्थित है जो गै0मू0 नाला** दर्ज है। जो प्रतिबन्धित श्रेणी में आता है। गै0मू0 नाला में से सुखाधिकार में रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। अप्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थीगणों द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में भी प्रश्नगत आराजी खसरा संख्या 733 तथा 734 में से ही रास्ते की मांग की गई थी। अप्रार्थीगणों द्वारा खसरा संख्या 731 व 732 के संबंध में कोई भी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है। दौराने बहस वकील अप्रार्थी द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 936/752 किस्म गै0मू0 मगरी से भी रास्ता चाहा गया हैं। जो वन विभाग के क्षेत्राधिकार में आती है। परन्तु वन विभाग को पत्रावली मे पक्षकार नहीं बनाकर कानूनी भूल की गई है। राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि, खसरा संख्या 936/752 किस्म गै0मू0 मगरी वन विभाग के नाम के नाम दर्ज नही होकर, खाता संख्या 01 में दर्ज है, और भू–धारक तहसीलदार भिनाय को पत्रावली मे पक्षकार बनाया गया है। तहसीलदार भिनाय की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि, प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी में आने–जाने के लिए मांगा गया रास्ता निकटतम है, तथा इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तहसीलदार भिनाय द्वारा, प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता उपयुक्त तथा अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं होना स्वीकार किया। अतः बाद अवलोकन तथा मनन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 251ए रा0का0अधि0 अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। चूंकि तहसीलदार भिनाय ने अपने प्रतिवेदन में अवगत कराया है कि यह रास्ता पुश्तैनी चला आ रहा है इसलिए निर्धारित नियमानुसार रास्ते हेतु आरक्षित की जाने वाली भूमि की दुगुनी लागत कायम करना ही उपयुक्त एवं न्यायोचित पाया जाता है। तहसीलदार भिनाय द्वारा ग्राम सवाईपुरा की अंसीचित भूमि की डी.एल.सी. दर 199905/– रू. प्रति हैक्टेयर बताई गई है। अतः ग्राम सवाईपुरा स्थित सिवायचक खसरा नं. 687 में से 55 वर्ग मीटर (12 मीटर लम्बा व 4.58 मीटर चौडा) भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 20 रू प्रति वर्ग मीटर की दुगुनी राशि 2200/– रू. मुकर्रर की जाती है। सिवायचक खसरा नं. 936/752 में से 880 वर्ग मीटर (192 मीटर लम्बा व 4.58

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

मीटर चौडा) भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 20 रू प्रति वर्ग मीटर की दुगुनी राशि **35200/–** रू. मुकर्रर की जाती है। सिवायचक खसरा नं. 740 में से 394 वर्ग मीटर (86 मीटर लम्बा व 4.58 मीटर चौडा) भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 20 रू प्रति वर्ग मीटर की दुगुनी राशि **15760/–** रू. मुकर्रर की जाती है। प्रार्थी द्वारा राशि राजकोष में जमा कराई जावे। साथ ही अप्रार्थी संख्या 01 और 02 के खातेदारी खसरा नं. 733 में से 422 वर्ग मीटर (92 मीटर लम्बा व 4.58 मीटर चौडा) भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 20 रू प्रति वर्ग मीटर राशि **16880/–** रू. मुकर्रर की जाती है। और अप्रार्थी संख्या 01 और 02 के खातेदारी खसरा नं. 734 में से 193 वर्ग मीटर (42 मीटर लम्बा व 4.58 मीटर चौडा) भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 20 रू प्रति वर्ग मीटर राशि **7720/–** रू. मुकर्रर की जाती है। तहसीलदार भिनाय नियमानुसार अप्रार्थीगण संख्या 01 तथा 02 खातेदारों को मुकर्रर राशि का भुगतान जरिये प्रार्थीगण करावे। ग्राम सवाईपुरा पटवार हल्का पड़ांगा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगावल तहसील भिनाय स्थित सिवायचक भूमि खसरा नं. 687 में से 55 वर्ग मीटर, खसरा नं. 936/752 में से 880 वर्ग मीटर, खसरा नं. 740 में से 394 वर्ग मीटर तथा ग्राम सवाईपुरा पटवार हल्का पड़ांगा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगावल स्थित खातेदारी खसरा नं. 733 में से 422 वर्ग मीटर, खातेदारी खसरा नं. 734 में से 193 वर्गमीटर भूमि से प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 951/730 तक रास्ता/मार्गाधिकार कायम किये जाने के आदेश पारित किए जाते है तथा तहसीलदार भिनाय को उनके राजस्व नक्शें में आदेश में वर्णित रास्ते की नियमानुसार तरमीम कर इस खसरा नं. का बट्टा नंबर कायम कर खाते सरकार किस्म रास्ते से लगाने के आदेश पारित किए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)